

Bail App No. 87 of 2026 CNR No. UPJP010013262026 Chandrashekhara@Firangi Vs State

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 87/2026

चन्द्रशेखर उर्फ फिरंगी पुत्र रामजीत,

निवासी हरीपुर, चकपाली, थाना जलालपुर, जिला जौनपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0-160/2025

धारा-115(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0 एवं धारा 3 (2) (vक) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।

थाना-जलालपुर, जिला-जौनपुर।

दिनांक-07.03.2026

अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांकित 24.02.2026 के अनुक्रम में आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्त की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र इन आधारों पर दाखिल किया गया है कि आवेदक निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। घटना के स्थान के पास आवेदक की दुकान है, आवेदक अन्य कथित अभियुक्तों का पड़ोसी है, इसलिए आवेदक को फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सभी धाराएं 7 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय हैं। आवेदक का कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है। आवेदक जमानत पर छूटने के बाद जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। आवेदक जमानत देने को तैयार है। जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सूरज कुमार द्वारा थाने पर लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 16.05.2025 को समय करीब 6 बजे अंकित सब्जी लेने बी0एस0पी0 चौराहा पर गया था, जहां पर प्रियांशु, आजाद, नागेश्वर, फिरंगी चमरा चमरा कहते हुए गाली देते हुए बुलाने लगे, मना करने पर लात मुक्का, डण्डा से मारने लगे, जिससे सिर में चोटें आईं। अंकित भागकर उसे व किशन को बुलाने आया, जब दोनों लोग गये तो उन्हें भी जातिसूचक शब्द कहते हुए गाली गुप्ता देते हुए लाठी डण्डा से मारे पीटे, और जान से मारने की धमकी दिये। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 160/2025 धारा 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 एवं धारा 3 (2) (vक) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 115(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0 एवं धारा 3 (2) (vक) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

अभियोजन पक्ष को वादी मुकदमा को सूचना देने एवं अभियुक्त के आपराधिक इतिहास हेतु समय प्रदान किया गया है। वादी मुकदमा को तामीला प्राप्त है, परन्तु वादी मुकदमा अनुपस्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा एवं उसके साथ के लोगों को मारपीट कर उपहति किये जाने, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी दिये जाने का अपराध कारित किया गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा एवं उसके साथ के लोगों को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया जाना, गाली गलौज दिया जाना, जान से मारने की धमकी दिया जाना तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया जाना कहा गया है। मामले की विवेचना सम्पादित की जा चुकी है और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अभियुक्त पर धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 की नोटिस तामील कराई गई है। अभियोजन का ऐसा कोई कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग न किये गये हो। अभियुक्त आज की तिथि तक अन्तरिम जमानत पर था। थाने से आख्या प्राप्त है। थाना आख्यानुसार अभियुक्त का उक्त अभियोग के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध अधिकतम 7 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 25,000/-रूपये का स्वबंधपत्र व समान धनराशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है—

1. आवेदक/अभियुक्त नियत तिथियों पर स्वयं/जरिये अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त मामले के साक्षी/साक्ष्य को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त जमानत के दौरान किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

(रणजीत कुमार)

विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड— यू0पी0 6509